है उन्हें फ्रीडम फाइटर्स की सर्फरिंग्ज का पता नहीं है । जिनके थोड़ी सी भी अक्ल है व उसकी कीमत को समझ सकते हैं । अब जहां तक इस मसले का ताल्लुक है, मैं हरियाणा गवर्नमेंट से पूछताछ कर लूंगा ।

MR. SPEAKER: Next Question. Mr. Ram Gopal Shalwale . . .

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू से ही उठ रहा हूं लेकिन आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं जबकि मेरे से बाद में उठने वालों को आप मौका दे रहे हैं ।

MR. SPEAKER: Three or four communist members got up and I called Dr. Ranen Sen. Every member wants to be called. What can I do? When three or four of them got up, I called Dr. Ranen Sen. Will he kindly sit down . . . (*Interruptions*).

श्री रामावतार शास्त्री : यह अन्याय है । यह हमारे अधिकारों का हनन है ।

MR SPEAKER: Will he please sit down. I do not want to send him out. The Leader; must say something.

श्री शिव चन्द्र झा : यह बात सही नहीं है. . . .

MR. SPEAKER: When SSP members got up, I called the leader of the SSP. Will he please sit down?

श्री रामावतार शास्त्री : फिर इस सदन में बैठने का क्या लाभ होगा ।

MR. SPEAKER: Mr. Shastri, if you do not want to sit in this House, may I request you to leave if you think that it is not competent, will you please leave the House? May I request you to leave the House if you do not want to sit here? If you want to sit here, you should sit quietly . . . (*Interruptions*) I do not want to argue. Either you sit quietly or leave the House. The work of the House must continue. You cannot hold it to ransom. Please sit quitely or leave the House.

दिल्ली की परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता

*272. **श्री राम गोपाल शालवाले** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर परिषद् ने दिल्ली की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये 11 करोड़ रुपय की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार यह वित्तीय सहायता कब तक देगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कार्यकारी परिषद् ने मांग की है कि दिल्ली के राजस्व साधनों के प्रश्न को भी मुरारका आयोग को भेजा जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने अभी तक क्या कर्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 4 अप्रैल, 1968 को दिल्ली महानगर परिषद् द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसरण में दिल्ली प्रशासन ने इस मंत्रालय को 13-6-1968 को विभिन्न स्कीमों के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 12.49 करोड़ के अतिरिक्त धनराशि के आवंटन के प्रस्ताव भेजे थे ।

(ख) प्रस्तावों में 46 मदें हैं और विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों के विचाराधीन है । चूंकि दिल्ली प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रस्तावों के लिये औचित्यपूर्ण ब्यौरा अभी प्रस्तुत करना है, अतः तारीख नियत करना कठिन है कि कब तक इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ।

(ग) कार्यकारी परिषद् ने, बताया जाता है, कि सुझाव दिया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा नियुक्त संघ राज्य क्षेत्रों

के प्रशासन पर अध्ययन दल को (श्री मोरारका की अध्यक्षता में) उन सिद्धान्तों की जांच करने के लिये कहा जाय, जिन्हें दिल्ली को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा को निर्धारित करना चाहिये ।

(घ) सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री राम गोपाल शालवाले : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन की आर्थिक स्थिति को जानने और उसपर विचार करने के लिये सरकार ने रेड्डी कमीशन की स्थापना की थी तो उस कमीशन ने अपनी क्या रिपोर्ट दी है ? क्या यह सच है कि उस कमीशन ने दिल्ली प्रशासन के लिये 12 करोड़ रुपये का अनुदान देने की सिफारिश की थी । इसके अलावा मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन में सरकार को आयकर, बिक्रीकर और दूसरे करों से कितनी आमदनी होती है और उसमें से दिल्ली प्रशासन को सरकार क्या देती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, रेड्डी कमीशन को जो स्थापना की गई थी वह दिल्ली प्रशासन को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में नहीं था, उसका उद्देश्य केवल यही था कि दिल्ली नगर निगम और नयी दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को किस हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाये, उसके बारे में वे सरकार को सिफारिश करे परन्तु जब श्री रेड्डी को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया तब उस कमीशन के काम में कुछ बाधा आई और फिर श्री मोरारका जी को इस कमीशन का काम करने के लिये नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया लेकिन उनकी पूरी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन को कोई वित्तीय सहायता देने का सवाल इसलिये नहीं उठता है क्योंकि दिल्ली का कोई अलग से कन्सालिडेटेड फण्ड नहीं है, जितनी आमदनी दिल्ली से होती है वह कन्सालिडेटेड फंड आफ इण्डिया में जाती है और जितना खर्चा दिल्ली के लिये आवश्यक है वह इसी फण्ड से दिया जाता है । इसलिये दिल्ली को उस तरह से सहायता नहीं दी जा सकती है जिस प्रकार से दूसरी राज्य सरकारों को दी जाती है ।

श्री राम गोपाल शालवाले : भारत के बाहर अन्य देशों में राजधानी वाले प्रदेशों को एक विशेष स्थिति प्राप्त होती है इसलिये क्या भारत सरकार दिल्ली राजधानी होने के कारण, दिल्ली प्रशासन को वही सुविधायें देने के लिये तैयार होगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली प्रशासन को हम दूसरों से ज्यादा सुविधा देते हैं क्योंकि वह भारतीय संघ की राजधानी है । यहां पर हमें बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो कि आम तौर पर हम दूसरी जगहों पर नहीं करते हैं ।

श्री राम गोपाल शालवाले : जो 11 करोड़ की मांग है, उसके बारे में आपका क्या उत्तर है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं ने अपने मूल उत्तर में बतलाया है कि विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श किया जा रहा है और जब परामर्श पूरा हो जायगा तभी निर्णय लिया जायगा ।

श्री महाराज सिंह भारती : दिल्ली राजधानी के अन्तर्गत जितना इलाका आता है वह दिल्ली मास्टर प्लान के हिसाब से कवर होता है । उस में आस पड़ौस के जो प्रदेश हैं उन का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है । क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार केवल दिल्ली प्रशासन को ही मदद करती है और दिल्ली मास्टर प्लान के अन्तर्गत जो

दिल्ली से बाहर का इलाका है वह उपेक्षित है, यदि हां, तो क्या सरकार उस इलाके को मास्टर प्लान से निकालने की कृपा करेगी, अगर नहीं तो उस को भी क्या मदद देने की कृपा करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह जरा अजीब सा सवाल है....

श्री महाराज सिंह भारती : अजीब स्थिति हमारी है ही ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां, स्थिति भी अजीब है क्योंकि दिल्ली का जो क्षेत्र है वह बहुत से राज्यों से सम्बन्धित क्षेत्र है और आर्थिक, भौगोलिक व दूसरी दृष्टियों से भी जब दिल्ली को हमें विकसित करना है तो उस के लिये हमें बाहर के क्षेत्रों का भी ख्याल अपने सामने रखना पड़ता है। इस का मतलब यह है कि प्रशासनिक रूप से हम उत्तर प्रदेश के या हरियाणा के उन स्थानों को ले लें....

श्री महाराज सिंह भारती : पैसे की मदद के रूप में ले लें :

श्री विद्याचरण शुक्ल : पैसे की मदद के रूप में या दूसरी तरह से हम वहां कुछ ज्यादा नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं और इसलिये उन्हें दिल्ली क्षेत्र के अन्दर ही हम रखना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा काम अपने दिल्ली के क्षेत्र में कर सके ।

श्री बलराज मधोक : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि रेड्डी कमिशन ने अपना काम खत्म नहीं किया था और यह कि मुरारका कमिशन उसी काम को पूरा कर रहा है तो यह उन की बात सरासर गलत है । दरअसल रेड्डी कमिशन ने अपना काम खत्म कर लिया था और उस ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दे दी थी । यह मुरारका कमेटी उस से भिन्न है । अब या तो मैं समझता हूं कि उन को पूरी जानकारी नहीं है या ऐसा कह कर वह थ ड़ा सा कन्फ्युजन पैदा करना चाह रहे हैं । मंत्री महोदय ने कहा है कि जो रुपया दिल्ली प्रशासन ने मांगा है उस के बारे में विभिन्न मंत्रालयों से बातचीत हो रही है । दिल्ली प्रशासन को कायम हुए डेढ़ साल हो गये और इस डेढ़ साल के अन्दर दिल्ली की योजनायें इतनी खटाई में पड़ी हैं कि कुछ कहना नहीं । दिल्ली का जो नया बजट है उसके अनुसार उन का रैवेन्यु 36 करोड़ का है और जो खर्चा है वह 42 करोड़ का है। इस के अतिरिक्त दिल्ली से जो केन्द्रीय सरकार को आय होती है इनकमटैक्स से वह कोई 42 करोड़ तक जाती है । वैसे भी दिल्ली देश की राजधानी है इसलिये दिल्ली की ओर हम विशेष ध्यान देते हैं लेकिन इस सब के बावजूद मेरा यह कहना है कि आप दिल्ली की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं । दिल्ली के अन्दर जहां जनसंघ का प्रशासन है, उस जनसंघी प्रशासन को फेल करने के लिये, यह मेरा चार्ज है, उस को फेल करने के लिये आप जानबूझ कर जो रुपया उस को मिलना चाहिये वह रुपया भी उसे देने में टालमटोल और आनाकानी कर रहे हैं । मिसाल के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी को दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को बतौर ड्यू रुपया देना था, वर्क्स ऐंड हाउसिंग मिनिस्टर श्री जगन्नाथ राव को इस मामले को हल करने के लिये आरबिटरेटर बनाया गया और उन्होंने यह डिसाइड किया कि दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को 59 लाख रुपया दिया जाना चाहिये लेकिन उसे होम मिनिस्टर ने निगेटिव कर दिया । इस तरह की और भी बातें हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जबकि दिल्ली के अन्दर विकास की आवश्यकता है, दिल्ली के अन्दर ओवरब्रिज एक भी नहीं और लाखों लोगों को रोज इस कारण कष्ट उठाना पड़ता है । इसी तरह वैस्ट दिल्ली में कोई अस्पताल नहीं है, शाहदरे

में भी कोई अस्पताल नहीं है । इन जरूरी चीजों के लिये केन्द्रीय सरकार दिल्ली प्रशासन को कोई रुपया नहीं देती है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रेड्डी कमिशन ने जो सिफारिश की है उस के ऊपर वह शीघ्र अमल करेगी और दिल्ली प्रशासन व कारपोरेशन को वह रुपया देगी ? गवर्नेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों को 95 परसेंट ग्रांट देती है लेकिन कारपोरेशन के स्कूलों को वह 50 परसेंटभी ग्रांट देने को तैयार नहीं है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह यह भेदभाव की नीति को बदल कर दिल्ली प्रशासन को रुपया देने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : दरअसल प्रोफसर साहब इस तरह से चार्ज लगाने की अपनी आदत से मजबूर हैं इसलिये वह यहां चार्ज लगा रहे हैं

श्री बलराज मधोक : मैं अपने चार्ज को सब्सटेंटियेट करूंगा ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं आप को बतलाता हूं कि आप कितनी ग़लत बात कहते हैं । एक बात माननीय सदस्य ने यह कही कि रैड्डी कमिशन ने अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट दे दी थी और यह जो मुरारका कमीशन है यह दूसरा कमिशन है तो उन की यह बात बिलकुल ग़लत है । हक़ीकत यह है कि रैड्डी कमिशन ने अपनी इंटैरिम रिपोर्ट दी थी । उस की वह फाइनल रिपोर्ट नहीं थी । उस के बाद हम लोगों ने तय किया कि चूंकि अभी पूरा काम नहीं हुआ है, पूरा काम करना है और इसलिये वह पूरी रिपोर्ट फ़ाइनल रिपोर्ट आनी चाहिये । इस कारण इंटैरिम रिपोर्ट के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया और पूरी रिपोर्ट का हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं । प्रोफसर साहब ने उस बारे में ग़लत कहा है और यह हाउस को बिलकुल मिस्लीड करने की बात है कि कमिशन ने पूरा काम कर लिया था । हक़ीकत यह है कि अभी कमिशन का काम पूरा नहीं हुआ है ।

जहां तक कि उन के दूसरे चार्ज का प्रश्न है कि हम जानबूझ कर यहां भेदभाव करते हैं और यहां पर हम लोग उतना पैसा नहीं देते जितना कि पहले देते थे यह चार्ज भी उन का ग़लत है । अगर वह इस सम्बन्ध में आंकड़े देखने की तकलीफ़ करेंगे और इस पर जब चाहें मुझ से बातचीत कर लें, मैं प्रोफसर साहब के साथ बैठ कर बात कर सकता हूं और उन्हें समझा भी सकता हूं बशर्ते कि वह इस पर ठंडे दिल से सोचने और समझने को तैयार हों लेकिन अफसोस इस बात का है कि वह केवल राजनीतिक दृष्टि से इन बातों को कहा करते हैं । अगर वह ठंडे दिल से और बगैर राजनीति को अपने सामने रखते हुए समझना चाहें तो मैं उन्हें बैठ कर समझा सकता हूं और मुझे विश्वास है कि वह समझ जायेंगे कि हम ठीक तरीके से उचित रीति से उस कार्य में मदद कर रहे हैं और कोई भेदभाव इस बारे में नहीं कर रहे हैं । श्री बलराज मधोक ने जो हमारे ऊपर यह चार्ज लगाया है वह एकदम ग़लत और बेबुनियाद है ।

श्री बलराज मधोक : मैं ने कहा था कि रैड्डी कमिशन की रिपोर्ट आ गयी है । इन्होंने माना है कि उन की इंटैरिम रिपोर्ट आ गयी है । अब हर एक मामले में पहले इंटैरिम रिपोर्ट आती है तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इंटैरिम रिपोर्ट पर क्या अमल किया है इसी तरह नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी को दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को 59 लाख रुपया देना है । श्री जगन्नाथ राव साहब ने उस के बारे में आरबिट्रेट किया और उन्होंने कहा कि वह 59 लाख रुपया दिल्ली कारपोरेशन को दिया जाना है लेकिन आप ने उसे निगटिव कर दिया , खत्म कर दिया । मैं जानना चाहता हूं कि यह फैक्ट है या नहीं ? इस बात का आप जवाब दीजिये कि क्या वह 59 लाख रुपया देना आप ने बंद नहीं किया ?

MR. SPEAKER: The hon. Minister has agreed to . . .

SHRI BAL RAJ MADHOK: He is telling wrong facts and he is trying to mislead the House deliberately.

MR. SPEAKER: About the interim report he has agreed. About the money also, he has said that the hon. Member can discuss and if the hon. Member can point out any discrimination which has been made, he would correct it. This is what I have gathered, to the extent that I could understand Hindi. I think he has said that the hon. Member can discuss with him, and if the hon. Member can prove to him any discrimination he would correct it. Thereore, there is no quarrel now. Let us now go on to the next question.

Inter-State Disputes

+

*273. SHRI K. LAKKAPPA:
SHRI A. SREEDHARAN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any proposal to set up a permanent machinery to resolve inter-state disputes;

(b) if so, the broad details thereof;

(c) the reactions of State Governments thereto; and

(d) the further steps proposed by Government in the matter?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): (a) to (d). The National Integration council which met at Srinagar recently recommended the formulation of uniform general principles applicable to the country as a whole for the solution of the linguistic border issues on a well understood basis and the setting up of a machinery by the Government of India to which linguistic border issues could be referred for expeditious solution. The recommendation of the Council is under examination.

SHRI K. LAKKAPPA: The National Integration Council met in Kashmir Valley in a cool atmosphere . . .

MR. SPEAKER: Now, let the hon. Member come to the Delhi atmosphere and the Parliament atmosphere and put his supplementary question.

SHRI K. LAKKAPPA: . . . to find out a solution to the disintegration in the country at the hands of the Congress rule for the last twenty years. While doing so, may I know whether this National Integration Council at the instance of the Government of India conveyed their intention to sabotage and shelve the Mahajan Commission's report, which was the report of a commission appointed by the Government of India to go into the border dispute between Maharashtra and Mysore and whether the National Integration Council has thought of a definite and concrete solution to institute a permanent machinery for the purpose in the form of a national tribunal? Such a machinery is envisaged also under article 263 of the Constitution. Keeping in view all these things, may I know whether the Government would implement the Mahajan Commission's report first? Then, there are other inter-State problems such as river water disputes, location of steel plants, location of industries, allocation of foodgrains and so on. These are all the common issues concerning several States. Taking all these things into consideration, may I know whether the Government of India would constitute a high level national tribunal to go into these things? I want a categorical answer to these two specific questions from the hon. Minister.

SHRI Y. B. CHAVAN: As far as the first part of the question is concerned, this recommendation was not initiated by Government as such. The National Integration Council was split up into two or three different groups. The committee which made this recommendation was presided over by the President of the Party to which the hon Member belongs . . .